उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का अधिनियम, 1954

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1955)

THE UTTAR PRADESH AGRICULTURAL DISEASE AND PESTS ACT, 1954

(U.P. Act No. XV of 1955)

उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का अधिनियम, 1954[1]

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1955)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 24 अगस्त, 1955 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 14 सितम्बर, 1955 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 6 अक्तूबर, 1955 ई0 को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 11 अक्तूबर, 1955 ई0 को प्रकाशित हुआ।]

फसलों को हानिकर रोगों तथा नाशक कीटों के आविर्भाव, फैलाव अथवा पुनरागमन के निरोध का

अधिनियम

फसलों को हानिकर रोगों तथा नाशक कीटों के आविर्भाव, फैलाव तथा पुनरागमन के निरोध की और तत्संबंधी अन्य विषयों की व्यवस्था करना आवश्यक है ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के पांचवे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एव ंनाशक कीटों का अधिनियम, 1954 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

परिभाषायें

2–इस अधिनियम में, विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर–

(क) "प्रभावित क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्रों से है जो धारा 3 के अधीन इस प्रकार प्रख्यापित किया गया हो ;

(ख) "डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट" के अन्तर्गत वह अधिकारी भी होगा जिसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के कृत्य करने के लिये अधिकृत करे ;

(ग) "हानिप्रद तृणादि" (noxious weeds) का तात्पर्य किसी भी तृणादि (weeds) से है जिसे राज्य सरकार धारा 3 के अधीन ऐसा प्रख्यापित करे ;

(घ) "अध्यासी" (occupier) का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे समय विशेष पर किसी स्थल, जल या भूगृहादि पर वास्तविक अध्यासन प्राप्त हो तथा इसके अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है जिसे समय विशेष पर उसके अध्यासन का अधिकार हो ;

(ङ) "परजीवी" (parasite) का तात्पर्य किसी ऐसे पौधे या पशु से है जो पूर्णतः अथवा अंशतः किसी कृषिक फसल, पौधे, वृक्ष, झाड़ी अथवा औषधि (herb) पर जीवित रहता हो, और जिसे राज्य सरकार धारा 3 के अधीन ऐसा प्रख्यापित करे ;

(च) "नाशक कीट" (pest) का तात्पर्य किसी ऐसे कीट, मेरूहीन जीव (invertebrate) अथवा मेरूयुक्त जीव (vertebrate) से है जिसे राज्य सरकार धारा 3 के अधीन ऐसा प्रख्यापित करे ;

(छ) "पौधे" के अन्तर्गत सभी उद्यान संबंधी तथा कृषिक फसलें, वृक्ष, झाड़ियां अथवा औषधि (herbs) है तथा इसके अन्तर्गत इनके बीज, फल, पत्ते, तना, जड़े, छाल, कलम (cutting) अथवा भाग भी है;

---

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण लिए दिनांक 9 अगस्त, 1954 ई0 का सरकारी असाधारण गजट देखिए।

(ज) "पौधों के रोग" का तात्पर्य किसी गोमज (fungoid), अथवा शकाणवीय (bacterial) विषाणवीय (virus), पारजैविक (parasitical) अथवा अन्य रोग से है जिसे राज्य सरकार धारा 3 के अधीन पौधों का रोग प्रख्यापित करे;

(झ) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है; तथा

(ञ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है।

राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापन

3–जब राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि किसी क्षेत्र में कोई रोग, नाशक कीट, परजीवी, नाशक कीट अथवा तृणादि पौधों के लिये हानिप्रद है और ऐसे रोग, परजीवी नाशक कीट अथवा तृणादि का उन्मूलन अथवा उसके आविर्भाव, फैलाव अथवा पुनरागम के निरोध का उपाय करना आवश्यक है, तो राज्य सरकार सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके उस क्षेत्र को ऐसी अवधि के लिये, जो निर्दिष्ट की जाय प्रभावित क्षेत्र प्रख्यापित कर सकती है और इसके अतिरिक्त ऐसे क्षेत्र के संबंध में–

(क) किसी रोग, परजीवी, नाशक कीट अथवा तृणादि को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये पौधों का रोग, परजीवी, नाशक कीट अथवा हानिप्रद तृणादि प्रख्यापित कर सकती है;

(ख) किसी भी पौधें, मिट्टी अथवा खाद को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने अथवा हटाने को मना कर सकती है अथवा रोक सकती है;

(ग) आदेश दे सकती है कि ऐसे निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय (Preventive or remidial measures) किये जायं जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी हानिप्रद तृणादि, परजीवी, नाशक कीट, पौधे अथवा पौधे के रोग के आविर्भाव प्रसार तथा पुनरागम (introduction spread and reappearance) को उन्मूलित, नष्ट अथवा निरूद्ध करने के लिये आवश्यक समझे तथा

(घ) किसी ऐसे क्षेत्र में, जो निर्दिष्ट किया जाय, किसी ऐसे पौधे के लगाने अथवा उगाने को मना कर सकती है जिससे इस प्रकार निर्दिष्ट क्षेत्र में अन्य फसलों के लिये हानि होने की संभावना हो।

आदेश प्रचारित करने का अधिकार

4–(1) धारा 3 के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर अथवा उसके पश्चात् डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नोटिस द्वारा–

(क) आदेश दे सकता है कि प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत प्रत्येक अध्यासी किसी परजीवी, हानिप्रद, तृणादि, नाशक कीट, पौधे अथवा पौधों के रोग के आविर्भाव, फैलाव अथवा पुनरागम को उन्मूलित, नष्ट अथवा निरूद्ध करने के लिये ऐसे निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय करे जिन्हें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नोटिस में निर्दिष्ट करे ; तथा

(ख) किसी पुरूष को, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो अैर जो उक्त क्षेत्र में रहता हो, आदेश कर सकता है कि वह खण्ड (क) में अभिदिष्ट उपायों को सम्पन्न करने में सहायता करे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी व्यक्ति को जो वृद्धावस्था, शारीरिक अक्षमता अथवा अन्य उचित कारणवश, सहायता देने में असमर्थ हो अथवा जो उस स्थान से, जहाँ पर उसकी उपस्थिति अपेक्षित हो, 5 मील से अधिक दूरी पर रहता हो, सहायता करने के लिये आदेश नहीं दिया जायेगा ;

(ग) वह क्षेत्र तथा अवधि निर्दिष्ट कर सकता है जिसमें खण्ड (क) में निर्दिष्ट उपाय कार्यान्वित किये जायेंगे।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रत्येक अध्यासी को तथा उक्त उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन अन्य व्यक्तियों को जिसकी सहायता अपेक्षित है, सूचित करना आवश्यक नहीं होगा अपितु क्षेत्र, गांव अथवा स्थानीय क्षेत्र (locality) में डुग्गी पीट कर अथवा अन्य किसी प्रचलित प्रथा से इस संबंध में की गयी घोषणा उस क्षेत्र, गांव अथवा उस स्थानीय क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिये पर्याप्त सूचना (notice) समझी जायगी।

भूमि अथवा भूगृहादि पर प्रवेश का अधिकार

5–डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा इस संबंध में अधिकृत किया जाने वाला कोई भी अधिकारी प्रभावित क्षेत्र में स्थित किसी भी स्थल, जल अथवा भूगृहादि में निम्नलिखित की जानकारी के लिये, सूचना देने के पश्चात् प्रवेश कर सकता है कि–

(1) कोई हानिप्रद तृणादि, परजीवी, नाशक कीट अथवा पौधों का रोग ऐसे स्थल, जल अथवा भूगृहादि में है कि नहीं; और

(2) धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट नियत निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय कार्यान्वित हो रहे हैं या नहीं।

उपाय कार्यान्वित करने के अधिकार

6–जब धारा 5 के अधीन इस संबंध में अधिकृत किसी भी अधिकारी को किसी स्थल, जल अथवा भूगृहादि के निरीक्षण करने से यह ज्ञात हो कि धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय आदेशानुसार कार्यान्वित नहीं हो रहे हैं, तो वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की किसी सामान्य अथवा विशिष्ट आज्ञा के अधीन, अध्यासी के व्यय पर उक्त निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय कार्यान्वित कर सकता है।

व्यय की वसूली

7–धारा 6 के अधीन कार्यान्वित किसी भी निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय का व्यय अध्यासी से मालगुजारी की बकाया की भांति (as arrears of land revenue) वसूल किया जा सकेगा।

व्यय के विरूद्ध अपील

8–(1) धारा 7 में अभिदिष्ट कोई भी ऐसा अध्यासी प्रथम बार ऐसे व्यय की मांग किये जाने पर मांग के दिनांक से 30 दिन के भीतर निम्नलिखित के आधार पर अपील कर सकता है कि–

(क) व्यय के अन्तर्गत श्रम, सामग्री अथवा उपकरणों के प्रयोग से भिन्न अन्य परिव्यय की मदें भी है;

(ख) श्रम,सामग्री अथवा उपकरणों के प्रयोग के लिये परिव्यय अतर्क्य रूप से अधिक (unreasonably high) है अथवा वास्तविक व्यय से कहीं अधिक है।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील प्राप्त होने पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अध्यासी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे आज्ञायें दे सकता है जिन्हें वह उचित समझें।

(3) उपधारा (2) के अधीन दी गयी कोई भी आज्ञा अन्तिम और निश्चायक होगी तथा किसी भी विधि न्यायालय में उस पर आक्षेप न किया जा सकेगा।

आदेश को कार्यान्वित करना अथवा सहायता न देना

9–(1) यदि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को संबंधित व्यक्ति की आपत्ति को सुनने के पश्चात् सन्तोष हो कि–

(क) किसी अध्यासी ने धारा 4 के अधीन जारी किये गये आदेशों को कार्यान्वित नहीं किया है; अथवा

(ख) किसी पुरूष ने धारा 4 के अधीन अपेक्षित सहायता नहीं दी है, तो वह अध्यासी अथवा ऐसे व्यक्ति को 50 रूपये तक की शास्ति (penalty) अदा करने की आज्ञा दे सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन शास्ति अदा करने की आज्ञा अन्तिम तथा निश्चायक होगी और उस पर किसी न्यायालय में आक्षेप न किया जा सकेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन शास्ति मालगुजारी की बकाया की भांति (arrears of land revenue) वसूल की जा सकेगी।

वाद तथा अन्य विधिक कार्यवाहियों पर प्रतिबन्ध

10–राज्य सरकार अथवा उसके किसी भी अधिकारी के विरूद्ध इस अधिनियम के अधीन सद्भाव से किये गये अथवा किये गये जाने वाले किसी भी कार्य के संबंध में अथवा इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में सद्भावना से किये गये किसी कार्य से उत्पन्न किसी क्षति के लिये कोई भी वाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही (suit, prosecution or other legal proceeding) न की जा सकेगी।

अधिकारों का प्रतिनिधायन

11–राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके कसी भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी को, इस अधिनियम द्वारा प्राप्त कोई भी अधिकार विज्ञप्ति में निर्दिष्ट निरोधों तथा शर्तों के अधीन प्रयुक्त करने के लिये प्रतिनिधानित (delegate) कर सकती है।

नियम बनाने का अधिकार

12–(1) राज्य सरकार पूर्व प्रकाशन (previous publication) के बाद इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बने सब नियम–

(क) सरकारी गजट (official Gazette) में प्रकाशित किये जायेंगे और यदि कोई अन्य दिन न निर्दिष्ट किया जाय तो वह प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशाली हो जायेंगे; तथा

(ख) बनाये जाने पर यथा शीघ्र राज्य विधान मंडल के सामने कम से कम 14 दिन तक रक्खे जायेंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे जो विधान मंडल अपने उस अधिवेशन में करे जिनमें वह (नियम) इस प्रकार रखे जायं।